



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138

web:www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

का० आ० सं० - B-100

राँची, दिनांक:- 31/8/2020

कार्यालय आदेश

कोरोना के विश्वव्यापी प्रभाव के मद्देनजर वर्तमान परिस्थिति में इकाइयों से प्राप्त आवेदनों के आलोक में इनका स्थल निरीक्षण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही, इकाइयों द्वारा प्रदूषण जाँच हेतु समर्पित किये गये आवेदनों का निष्पादन निबंधित प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

इसे ध्यान में रखते हुये सभी औद्योगिक इकाई जिनसे पर्षद को शहरबंदी (Lockdown) की अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों एवं जिनकी संचालन सहमति (CTO) की वैधता दिनांक 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020 एवं 31.08.2020 तक थी, के संचालन सहमति की वैधता दिनांक 30.09.2020 तक अंतिम बार पूर्व संचालन सहमति में वर्णित शर्तों एवं संबंधित वैधानिक शर्तों के अनुपालन के साथ स्वतः विस्तारित किया जाता है।

इस आदेश में सक्षम प्राधिकार की सहमति निहित है।

ह०/-

(राजीव लोचन बक्शी)

सदस्य सचिव

ज्ञापांक :- B-1247

राँची, दिनांक :- 31/8/2020

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Raj'01
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव
31/08/2020